

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
56वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2016

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 56वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2016 को श्री हरीश रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख सचिव, उत्तराखंड शासन, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, समस्त बैंक / बीमा कंपनी एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री पल्लव महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों, एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की 56वीं बैठक में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने राज्य की प्रगति में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं प्रयासों से सदन को अवगत कराया।

एम.एस.एम.ई. :

उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बैंकों ने रु. 17,577 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं, जिसमें से रु. 472 करोड़ सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए हैं और स्थानीय युवाओं का कौशल विकास करते हुए उन्हें मुद्रा ऋण के अंतर्गत रु. 765 करोड़ की धनराशि प्रदान करायी गयी है।

स्वयं सहायता समूह :

उन्होंने अवगत कराया कि राज्य के प्रमुख बैंकों ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेज कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विशेषकर महिला एस.एच.जी. का बैंक लिकेज करवाया गया। इसी क्रम में दिनांक 02 फरवरी, 2016 को मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड एवं मा. वित्तमंत्री जी, उत्तराखंड की गरिमामय उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समूहों

का बैंक लिंकेज कार्यक्रम आयोजित कर 126 समूहों को रु. 97.70 लाख के चेक कैम्प में ही वितरित किए गए। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि एस.एच.जी. को दिए जाने वाले रु. 5.00 लाख तक के ऋणों को स्टॉम्प शुल्क से मुक्त रखने का अधिसूचना जारी करें, ताकि समूह बैंक ऋण लेने में आगे आ सकें।

ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी :

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि राज्य में उनके कार्य क्षेत्र में जहाँ ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ सोलर वी.-सैट स्थापित करने हेतु नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करें, जिसके लिए प्रति वी.-सैट लगभग रु. 4.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है।

बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

उन्होंने भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने से संबंधित सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक Trial run कराए जाने पर, राज्य सरकार एवं एन.आई.सी. को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि अब शीघ्र ही इस साफ्टवेयर के बैंकों द्वारा उपायोग किए जाने हेतु अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।

ऋण-जमा अनुपात :

उन्होंने सदन को बताया कि दिसम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही में राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 58 % है, जो पिछली तिमाही से 01 प्रतिशत अधिक है, फिर भी इसे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को प्रभावी कदम उठाने होंगे।

कृषि ऋण :

मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने सदन को अवगत कराया कि बैंकों ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विभाग द्वारा आयोजित “कृषक महोत्सव” में पूर्ण सहयोग देते हुए फसली एवं मियादी ऋण वितरित किए हैं।

अंत में उन्होंने सदन में उपस्थित सभी का धन्यवाद किया और विश्वास प्रकट किया कि सभी बैंक, राज्य सरकार के सहयोग से राज्य के विकास में प्रत्यनशील रहेंगे।

श्री हरीश रावत जी, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में पधारे सभी सदस्यों का अभिवादन किया और राज्य के विकास में बैंकिंग सेक्टर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैंकों को चाहिए कि जरूरतमंद किसानों के समूह बनवाएं और आजीविका मिशन के अंतर्गत एस.एच.जी. भाँति किसानों के समूहों को ऋण प्रदान किए जाएं और उस पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर नहीं रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्रित करते हुए बैंक ऋण उपलब्ध कराएं, जिसके अंतर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया जाए। इसी क्रम में कहा कि बैंक निष्क्रिय एस.एच.जी. को सक्रिय बनाने में भी सार्थक प्रयास करें और अगर ऐसा करने से 50 प्रतिशत समूह सक्रिय हो जाते हैं, तो यह बैंकों एवं हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को एस.एच.जी. मैगा कैम्प आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज करवाने एवं ऋण राशि के चेक वितरित किए जाने पर प्रसन्नता प्रकट की और साथ ही साथ अन्य सहयोगी बैंकों को भी परामर्श दिया कि वे भी अपने कार्य क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के कार्यक्रम आयोजित करें।

उन्होंने आगे कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों का समग्र विकास करने हेतु बैंकों को प्रो-एक्टिव होकर छोटे-छोटे कुटीर एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए स्थानीय निवासियों को ऋण लेने हेतु शिक्षित एवं प्रेरित करें साथ ही एस.एच.जी. को मुद्रा ऋणों के साथ एकीकृत करें जिससे नए उद्यमियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो बैंकों को “मुद्रा ऋण” के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायक होगा।

उन्होंने राज्य के संबंधित विभागों एवं बैंकों को कहा कि पहाड़ों पर जल्द खराब होने वाले कृषि एवं बागवनी उत्पादों को वहीं पर “प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट” में बदलने हेतु वांछित / समुचित संसाधन उपलब्ध कराएं और उसे अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में विपणन की व्यवस्था करवाएं।

अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैठक में चर्चा करने हेतु एजेण्डा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार मैं, चाहता हूँ कि उत्तराखंड शासन भी अपना एजेण्डा बनाएं, ताकि उस पर भी बैठक में चर्चा की जा सके।

श्री एस. रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने सुझाव देते हुए निर्देशित सभी बैंकों को निर्देशित किया कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए बैंकों को अपने ऋण प्रवाह को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण मिशन है, जिसके अंतर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों के हर तबके के व्यक्तियों / परिवारों को बैंकिंग सेवाओं की परिधि में लाया जाना है, जिसके लिए राज्य सरकार बैंकों को समुचित सहयोग देने को तैयार है।

श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि जिला अधिकारी के सहयोग से बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, “ऋण वसूली एवं नवीनीकरण कैम्प” आयोजित करें। उन्होंने आगे कहा कि जिन जिलों में फसली बीमा से संबंधित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है वे इसे मार्च, 2016 के प्रथम सप्ताह तक संपन्न करा लें। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासित करने और पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले कृषकों को भी बीमा सुविधा की परिधि में लाने संबंधी सुझाव दें।

श्रीमती के. एस. ज्योत्सना, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून ने कहा कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात 57-58% के आसपास ही रहता है, जिसे 60 % से अधिक करने के लिए बैंकों को अपनी रणनीति एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहिए। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उप-समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों से भारतीय रिजर्व बैंक एवं एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं, ताकि उन्हें बैंक स्तर पर क्रियान्वित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों ने वित्तीय

वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक 50% तक की भी उपलब्धि दर्ज नहीं की है, उन्हें मार्च, 2016 तक शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने हेतु विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य के कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. / क्लस्टर में बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने हेतु संबंधित बैंक उन स्थानों पर नाबार्ड की अर्थिक सहायता से सोलर वी.-सैट स्थापित करने की वांछित व्यवस्था करें।

उन्होंने राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं बैंकों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के लम्बित आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करें, क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर अग्रसर हैं।

श्री सी. पी. मोहन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों लिकेज हेतु सभी बैंकों से शीघ्रतापूर्वक कार्य करने का आग्रह किया तथा उससे संबंधित पवार प्वाइंट प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार सभी बैंक 01 से 15 मार्च, 2016 तक महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता पखवाड़ा मनाएं जिसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं द्वारा कम से कम 4 “Village Level Programme” आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में महिला एस.एच.जी. का बैंक लिकेज करवाएं, जिसके लिए शाखाओं को नाबार्ड द्वारा रु. 1000/- प्रति कार्यक्रम दिए जाने का प्रावधान है।

श्री बी. के. दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 56वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों से कहा कि यदि वे “मुद्रा योजना” के अंतर्गत छोटे उद्यमियों एवं व्यवसायों तथा स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण वितरित करेंगे तो राज्य में ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में भी वृद्धि परिलक्षित होगी।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये और मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया।
